

पटवारी रिपोर्ट

श्रीमान जी कुतुबुद्दीन स्व.सं. 280/676 में गमला देवी कुत्री किसानों उर्फ रामकृष्ण के नाम की डबल सूत्री ही गई। अतः नामा सं. 232 दि. 3/03/22 के अन्वय गमला देवी कुत्री किसानों उर्फ रामकृष्ण (हस्ता) - 1/10 किया जाना उचित होगा।

कुतुबुद्दीन
पटवारी

भू अगिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट

श्रीमान जी,
मुताबक हल्का पटवारी रिपोर्ट व अगिलेख निरीक्षण के दुरुस्ती किया जाना उचित होगा।

I.L.R. देराब

तहसीलदार की रिपोर्ट

मुताबक रिपोर्ट पटवारी तथा अगिलेख निरीक्षण के आधार पर तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
543

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

क्रमांक/ 305

दिनांक:- 6/10/25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अगिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू अगिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंसा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1966 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम राजारजड़ा तहसील नसीराबाद की जगाबंदी समस्त 2074-77 के खाता संख्या 37 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	गमला देवी कुत्री किसान उर्फ रामकृष्ण हस्ता - 1/10 शेष नदर	280/676	1.20	गमला देवी कुत्री किसान उर्फ रामकृष्ण हस्ता - 1/10	280/676	1.20

क्रमांक:- 5338-39

दिनांक:- 6/10/25

उत्तलिपि:- 1. तहसीलदार नसी. की फालतारी प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, जिला अजमेर
2. आदेश पत्रावली

